

8.3.24

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में
ब्यस्त है। अतः इत्तवा होकर पत्रावली
आइन्दा... 7-6-24 को पेश हो।

7-6-24

पत्रावली आज पेश हुई।
प्रार्थिनी वकील उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय
में राजस्व आवेदन दिनांक 20.07.2021 को दर्ज करने के
बाद दिनांक 15.12.2022 को प्रार्थिनी वकील को विप्रार्थीगण
के नोटिस डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे।
परन्तु प्रार्थिनी वकील द्वारा आज तक विप्रार्थीगण के नोटिस
पेश नहीं किये। प्रार्थिनी वकील को नोटिस तामिली के कई
अवसर दिये जाने बावजूद भी प्रार्थिनी वकील ने विप्रार्थीगण
के नोटिस पेश नहीं किये। लगभग एक वर्ष छः माह का
समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण
नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम
05 सीपीसी के तहत प्रार्थिनी का राजस्व आवेदन अदम
तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना